उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए–5/ई–1/2026
दिनांकः 04.11.2026

1. सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा–2026
2. क्रीड़ाधिकारी परीक्षा–2026
3. प्रोग्रामर ग्रेड–2 परीक्षा–2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथिः– 04.11.2026
ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथिः– 04.12.2026
ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथिः– 11.12.2026

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑन–लाइन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :– (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑन–लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन ही करें।

ऑन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:–

आयोग की Website **https://uppsc.up.nic.in** पर "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

1- User Instructions
2- View Advertisement
3- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑन–लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण :– 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :–

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो:– a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ. टी.आर. वेब पोर्टल (**https://otr.pariksha.nic.in**) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरणः– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरणः– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:–

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट **प्रिन्टर आइकन** पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरांत 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोटः– ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण– तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत् चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9)(क) परीक्षा के पश्चात् अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड–कॉपी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(i)	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	– परीक्षा शुल्क रु. 200/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 225/–
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	– परीक्षा शुल्क रु. 80/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 105/–
(iii)	दिव्यांगजन	– परीक्षा शुल्क रु. शून्य + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 25/–
(iv)	भूतपूर्व सैनिक	– परीक्षा शुल्क रु. 80/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 105/–
(v)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी	– अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, सहायक वास्तुविद नियोजक, क्रीड़ाधिकारी तथा प्रोग्रामर ग्रेड–2 के पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु उ0प्र0 के जिला/जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर अलग–अलग परीक्षा का आयोजन करेंगें। सहायक वास्तुविद नियोजक, क्रीड़ाधिकारी तथा प्रोग्रामर ग्रेड–2 के पदों पर चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसारः–

मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा में निम्नलिखित अधिमान दिया जाएगा:–

क्रम सं0	परीक्षा में विहित अधिकतम अंक	अधिमान		
		अनुसंधानविद जो 01 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 02 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि पूर्ण कर ली हो
1–	100 अंक तक	1.0 अंक	2.0 अंक	3.0 अंक
2–	101 से 500 अंक तक	1.5 अंक	3.0 अंक	4.5 अंक
3–	501 से 1000 अंक तक	2.0 अंक	4.0 अंक	6.0 अंक
4–	1000 से अधिक	2.5 अंक	5.0 अंक	7.5 अंक

टिप्पणी– अधिमान की गणना हेतु कट–ऑफ का दिनांक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अन्तिम

दिनांक होगा।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

4. <u>रिक्तियों की संख्या</u>:– वर्तमान में सहायक वास्तुविद नियोजक, क्रीड़ाधिकारी तथा प्रोग्रामर ग्रेड–2 परीक्षा–2026 हेतु रिक्तियों की संख्या–25 है। रिक्तियों का पदवार/आरक्षणवार विवरण निम्नवत् हैः–

<u>सहायक वास्तुविद नियोजक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्</u>

कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
08	05	01	00	02	00	00	00	00	01

<u>नोट</u>:– (i) सहायक वास्तुविद नियोजक पद हेतु दिव्यांगजन की केवल **एच0एच0** एवं **ओ0एल0** उपश्रेणियां चिन्हांकित हैं।

(ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

<u>पद की प्रकृति</u>:–समूह–ख, अराजपत्रित।

<u>वेतनमान</u>:– रू0 15600–39100/–, ग्रेड–पेः 5400/–, लेवल–10

<u>क्रीडाधिकारी, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश</u>

कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
16	07	04	00	04	01	00	00	00	03

<u>नोट</u>:– (i) क्रीड़ाअधिकारी पद हेतु दिव्यांगजन की केवल **एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्ल्यू0** तथा **ए0ए0वी0** उपश्रेणियां चिन्हांकित हैं।

(ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट/बढ़ सकती है।

<u>पद की प्रकृति</u>:–समूह–ग, राजपत्रित।

<u>वेतनमान</u>:– रू0 47600–151100/–, लेवल–8

<u>प्रोग्रामर ग्रेड–2, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग</u>

कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
01	01	00	00	00	00	00	00	00	00

<u>नोट</u>:– (i) प्रोग्रामर ग्रेड–2 पद हेतु दिव्यांगजन की केवल **बी0, एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0, बी0एल0, एल0सी0, डी0डब्ल्यू0, ए0ए0वी0, एम0डीवाई, ए0एस0डी0** एवं **एम0डी0** उपश्रेणियां चिन्हांकित हैं।

(ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

<u>पद की प्रकृति</u>:– समूह–ख, अराजपत्रित।

<u>वेतनमान</u>:– रू0 9300–34800/–, ग्रेड पे–4600/–

5. <u>आरक्षण</u> : उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा– उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों और उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये पदों पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

<u>नोटः–</u> (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु–5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है– दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

2. शासनादेश संख्या–39 रिट/का–2/2019 दिनांक–26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या– 18/1/99/का–2/2006 दिनांक–09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर–4 में दिये गये प्राविधान, ''यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है'' को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक–16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक–09.01.2007 से प्रस्तर–04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3. ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.–II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप समस्त स्रोतों से प्राप्त आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

4. कुशल खिलाड़ियों हेतु नियुक्ति अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–52/दो–4/75–नियुक्ति–4, दिनांक 11 फरवरी, 1975 एवं शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28 नवम्बर, 1985 और उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह–'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

6. उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, O.T.R. के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

7. आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

8. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

9. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

10. अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. <u>आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु)</u>:– आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या– 22/10/1976 – कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:–

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि

(क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो।

7. <u>वैवाहिक प्रास्थिति</u> :– ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. <u>शैक्षिक अर्हता</u>:– आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निम्नवत् अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए।

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	शैक्षिक अर्हताएं
1.	सहायक वास्तुविद नियोजक (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्)	सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक ज्ञान होने के साथ–साथ निम्नलिखित अर्हतायें अवश्य हों:– **(1) अनिवार्य** (क) वास्तुविद् के डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता (समकक्षता का निर्धारण परिशिष्ट Q(ii) के अनुसार)। एवं (ख) नगर तथा ग्राम नियोजन/आवासिकी में डिग्री/डिप्लोमा या इसके समकक्ष अर्हता। (समकक्षता का निर्धारण परिशिष्ट Q(i) के अनुसार)। या वास्तुकला, नगर नियोजन अथवा आवासिकी क्षेत्र में संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर तीन वर्ष का अनुभव । या आवासिकी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और वास्तुकला नगर नियोजन अथवा आवासिकी में संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर एक वर्ष का अनुभव। **(2) अतिरिक्त** (क) वांछनीय आवासिकी का संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर अनुभव। **<u>APPENDIX-Q(I)</u>** 1- Post Graduate Degree in Town or City or Urban or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Regional or Transport or Environment Planning from a recognized University or Institute. 2- Bachelor of Planning or Bachelor of Technology In Planning from a recognized University or Institute with two years of experience in the field of Urban Planning in the Central/State Government or local Urban Authorities, etc. एवं **<u>APPENDIX-Q(II)</u>** 1. Bachelor Degree in Architecture awarded by Indian Universities established by an Act of the Central or State Legislature. 2. National Diploma (formerly All India Diploma) in Architecture awarded by the All India Council for Technical Education. 3. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) awarded by the Indian Institute of Technology, Kharagpur. 4. Five-Year full-time diploma in Architecture of the Sir J.J.School of Art, Bombay, awarded after 1941. 5. Diploma in Architecture awarded by the State Board of Technical Education and Training of the Government of Andhra Pradesh with effect from 1960 (for the students trained at the Government College of Arts and Architecture, Hyderabad). 6. Diploma in Architecture awarded by the Government College of Arts and Architecture, Hyderabad till 1959, subject to the condition that the candidates concerned have subsequently passed a special final examination in architecture held by the State Board of Technical Education, Andhra Pradesh and obtained a special certificate. 7. Diploma in Architecture awarded by the University of Nagpur with effect from 1965 to the students trained at the Government Polytechnic, Nagpur. 8. Government Diploma in Architecture awarded by the Government of Maharashtra (or the former Government of Bombay). 9. Diploma in Architecture of Kalabhavan Technical Institute, Baroda. 10. Diploma in Architecture awarded by the School of Architecture, Ahmedabad. 11. Membership of the Indian Institute of Architects. 12. Diploma in Architecture awarded by the University of Nagpur during the period 1962-1964. 13. Bachelor Degree in Architecture awarded by the School of Planning and Architecture, New Delhi (an Institution deemed to be a University) with effect from 3-12-1979. 14. Diploma in Architecture awarded by the Centre for Environmental Planning and Technology (CEPT), Ahmedabad, with effect from 16-10-1980. 15. Diploma in Architecture awarded by the Institute of Environment Design with effect from 1985 to the students trained at the D.C. Patel School of Architecture, Vallabh Vidya Nagar (Gujarat). 16. 5 years Diploma in Architecture awarded by the Sushant School of Art and Architecture, Gurgaon (Haryana) with effect frorn 1-6-1994 to the students trained at the Sushant School of Art and Architecture, Gurgaon (Haryana). 17. 5 years Diploma in Architecture awarded by the TVB School of Habitat Studies, Sector-D, Vasant Kunj, New Delhi with effect from 1-8-1995 to the students trained at the TVB School of Habitat Studies, Sector-D Vasant Kunj, New Delhi.
2	क्रीड़ाधिकारी, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बेंगलौर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेंद्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर और नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय–समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, से डिप्लोमा । 3. दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव **समकक्ष संस्थानः–** राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इम्फाल । **अधिमानी अर्हताएं:–** 1. खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव । 2. शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र। 3. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः– (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

		नोट– अनुभव के संबंध में खेल निदेशालय, उ0प्र0, खेल भवन लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0–757/स्था/138/16–17/लो0से0आ0 दिनांक 27.06.2025 के खेल विभाग, उ0प्र0 के अधीन जिला/क्षेत्रीय खेल कार्यालयों द्वारा कोचिंग (प्रशिक्षण) में निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्रों एवं खेल विभाग, उ0प्र0 से भिन्न अन्य संस्थानों में कोचिंग (प्रशिक्षण) में निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु संयुक्त निदेशक खेल, खेल निदेशालय उ0प्र0, मुख्यालय, लखनऊ को प्राधिकृत किया गया है।
3.	प्रोग्रामर ग्रेड–2 (उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग)	**अनिवार्य अर्हताः–** सेवा में प्रोग्रामर श्रेणी–2 पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं होनी आवश्यक हैः– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; अथवा इलेक्ट्रानिक्स विभाग (डी०ओ०ई०), भारत सरकार से "ए" लेवल प्रमाण पत्र। (तीन) डी ओ एस/यूनिक्स/विन्डोज इनवायरोनमेन्ट में ओरेकल/इनग्रेस/सायबेस, डी बी/जेड आदि के रूप में सी/सी–फोक्स प्रो, आर डी वी एम एस जैसे साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट का अच्छा ज्ञान। (चार) किसी नेटवर्किंग आपरेटिव प्रणाली के इनवायरोनमेन्ट से सुपरिचित होना। (पाँच) आफिस आटोमेशन पैकेजेज और इन्टरनेट का सम्पूर्ण ज्ञान। **<u>समकक्ष अर्हता</u>**– भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–03/2023/312/47–का–2–312 एलसी/2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :–''..... 3– उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:– (1)– ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। (2)– उक्त बिन्दु सख्या–1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गयी है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः– (1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियाँ स्नातक के रूप में मान्य होगी। (2) मानव संसाधान विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे। (3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा–नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा। **अधिमानी अर्हताः–** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोटः– आवेदन submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

9. <u>आयु सीमाः–</u> (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2026 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1986 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ii) **<u>अधिकतम आयु सीमा में छूटः–</u> (क)** उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। **(ग)** उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। **(घ)** उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसारः–

(एक) मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जायेगा।

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अनुसंधानविद के रूप में 01 वर्ष की अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, कोई अभ्यर्थी जो 02 वर्ष की अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे दो वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा और कोई अभ्यर्थी 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा परन्तु आयु सीमा में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से की जायेगी।

(तीन) आयु शिथिलीकरण केवल उन्हीं अनुसंधानविदों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूर्ण करते समय सरकारी सेवा हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर लिया हो।

परन्तु यह कि ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में किसी शिथिलीकरण हेतु पहले से ही पात्र हैं उन्हें कोई पृथक से आयु शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा।

10. सहायक वास्तुविद नियोजक, क्रीड़ाधिकारी तथा प्रोग्रामर ग्रेड–2 परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायेंः– (1) परीक्षा की तिथि एवं केन्द्र की सूचना आयोग द्वारा ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से बाद में दी जायेगी। (2) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. <u>अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेशः–</u> (1) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर/प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(4) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(6) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम–2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे।

(7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, ओ0टी0आर0 नं0, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये।

(8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(9) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(10) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(11) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधी गोलों को काला करके सही–सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोला को काला करके दी गयी सूचना के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर व्हाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(12) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति– गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति–हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति–नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगें एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति–नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।

(13) परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी –1 प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(14) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(15) <u>चयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/संगत विधियों/प्रभावी शासनादेशों/मा0 आयोग के निर्णयों के अनुसार की जायेगी।</u>

(16) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(17) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते है, अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

<u>सामान्य अनुदेश</u>

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (**परिशिष्ट–1**) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हतायें आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या–453/79–वी–1–15–1(का)14–2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. यदि अभ्यर्थी को ऑन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बॉक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

7. विभिन्न आरक्षित वर्गों हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रारूप **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है। इसी प्रकार सहायक वास्तुविद नियोजक, क्रीड़ाधिकारी तथा प्रोग्रामर ग्रेड–2 पद की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्रमशः **परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–3** तथा **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध है। पद संबंधी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण **परिशिष्ट–5** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/department name and post name.

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate's personnel details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-

Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in on-line application form. Being satisfied with filled details click on "Submit" button finally and get the print of submitted application form.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other Information candidates are advised to select desired option in the Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

- All Notification/Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having any Objections
- Know your OTR number.
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट–1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारीसुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर.....

दिनांक पूरा नाम.....

मुहर पद नाम.....

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारीपूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

मुहर पद नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या– दिनांक–

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र / पति / पुत्री ग्राम / कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिनकोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी ग्राम / कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ:–

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोत्रों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता / आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थानः–

दिनांकः–

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रामाण–पत्र

(दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age ____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____Post office_____ District_____State_____.

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is_____

(A) he/she has _____% (in figure)_____percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her_____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....) Member Medical Board with seal

(Dr.....) Member Medical Board with seal

(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/ female _____, Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of

Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

;

B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after..... years.....months, and therefore this certificate shall be valid till....

(DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/ Smt./Kum._____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) ____ age ___ years, male/female____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street_____Post Office _____ District _____ State_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) / पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
पूरा नाम
मुहर
जिलाधिकारी
सील

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या–22 / 21 / 1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985
प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4 प्रारूप –1
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

प्रारूप – 1

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
संस्था का नाम.....
मुहर

नोटः यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम)

आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
संस्था का नाम
पता
मुहर

नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोटः यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

क्रमांकः

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन विभाग
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम
अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र/पुत्री.....श्री/श्रीमती..... जिनकी जन्मतिथिहै, के द्वारा नियोजन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड..... जनपद.....में दिनांक.....से तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया।

नोटः यह प्रमाण–पत्र उ0प्र0 लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित वेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है।

दिनांक :

विशेष सचिव, नियोजन विभाग

परिशिष्ट–2

सहायक वास्तुविद् नियोजक परीक्षा

परीक्षा–योजना

प्रश्नपत्र–एक –	**वस्तुनिष्ठ प्रकारक।**
प्रश्नपत्र का नाम –	सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी।
प्रश्नपत्र हेतु कुल निर्धारित अंक–	200 (दो सौ)
प्रश्नों की कुल संख्या–	100 (सामान्य अध्ययन के 75 प्रश्न तथा सामान्य हिन्दी के 25 प्रश्न)।
प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक–	02 (दो)।
समयावधि–	02 (दो) घंटा।
प्रश्नपत्र–दो –	**परम्परागत अर्थात लिखित।**
प्रश्नपत्र का नाम –	वास्तुकला एवं नियोजन।
प्रश्नपत्र हेतु कुल निर्धारित अंक–	300 (तीन सौ)
समयावधि–	03 (तीन) घंटा।

ध्यातव्य है कि उक्त प्रश्नपत्र के अन्तर्गत कुल–15 (पन्द्रह) प्रश्न होगें तथा वे सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे, इनका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

खण्ड–(अ)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न अति लघु उत्तरीय {उत्तरों की शब्द सीमा 75 एवं प्रत्येक प्रश्न 10 (दस) अंक का होगा}।

खण्ड–(ब)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न लघु उत्तरीय {उत्तरों की शब्द सीमा 150 एवं प्रत्येक प्रश्न 20 (बीस) अंक का होगा}।

खण्ड–(स)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय {उत्तरों की शब्द सीमा 225 एवं प्रत्येक प्रश्न 30 (तीस) अंक का होगा}।

नोटः– उक्त दोनों प्रश्नपत्रों में प्राप्तांकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची का निर्धारण होगा।

सहायक वास्तुविद् नियोजक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : सामान्य हिन्दी	**अंक–विभाजन**
1. हिन्दी-वर्ण विचार : स्वर और व्यंजन	**04**
2. हिन्दी शब्द-निर्माण : सन्धि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय	**08**
3. सर्वनाम, विशेषण	**04**
4. हिन्दी शब्द-समूह : तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी	**08**
5. शब्द–अर्थ–सम्बन्ध : पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द (शब्द-युग्म)	**10**
6. वर्तनी एवं वाक्यगत अशुद्धियाँ एवं संशोधन	**08**
7. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ	**08**

विषयः सामान्य अध्ययन

(1) भारत का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन : भारतीय इतिहास के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की समझ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन– इसका अभ्युदय और स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारतीय कला और वास्तुकला का इतिहास।

(2) भारत और विश्व का भूगोल : भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। पर्यावरण, जनसंख्या और नगरीकरण–उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। विश्व का सामान्य भूगोल।

(3) भारतीय राजनीति और शासन : भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक और अन्य महत्त्वपूर्ण निकाय, लोकतंत्र, निर्वाचन–प्रक्रिया, संसदीय समितियाँ, सूचना का अधिकार। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राजव्यवस्था।

(4) भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास : आर्थिक नियोजन, सतत विकास, गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे और नीतियाँ। नगरीकरण, प्रवास और शहरी नियोजन पर इसका प्रभाव। महिला सशक्तीकरण, आर्थिक सुधार और इसकी नीतियाँ, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योजनाएँ और नीतियाँ।

(5) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ : खेल–कूद सहित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।

(6) भारतीय कृषि : भारतीय कृषि की सामान्य समझ। महत्त्वपूर्ण कृषि फसलों की उत्पादन तकनीक। कृषि–उत्पाद एवं उसका विपणन। कृषि में विभिन्न क्रांतियाँ। जैविक एवं प्राकृतिक खेती। फसलों में कीटनाशक अवशेष एवं मानव–स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव।

(7) सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर एवं प्रौद्योगिकी : भौतिकी, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा की मूलभूत अवधारणाएँ। उपर्युक्त विषयों का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, अवलोकन एवं सामान्य समझ तथा भारत और उत्तर प्रदेश के विकास में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका।

(8) प्रारंभिक गणित : बीजगणित, सांख्यिकी, ज्यामिति एवं अंकगणित की मूलभूत अवधारणाएँ।

(9) सामान्य बौद्धिक क्षमता : मौखिक एवं गैरमौखिक सादृश्य एवं शृंखला, वर्गीकरण, कोडिंग–डिकोडिंग, वर्णमाला एवं संख्या परीक्षण, दूरी एवं दिशा, रक्त–संबंध, कागज काटना एवं मोड़ना, वेन आरेख, गणितीय संचालन, कैलेंडर, समय और घड़ी, लुप्त पद, रैंकिंग और व्यवस्था, शब्द–समस्याएँ, अंतःस्थापित आकृति।

विषय : वास्तुकला एवं नियोजन

1. वास्तुकला और अभिकल्प

वास्तुकला ग्राफिक्स; समरूपीय प्रक्षिप्तियाँ, अक्षांशीय प्रक्षिप्तियाँ, तिर्यक प्रक्षिप्तियाँ, दृष्टिकोण प्रक्षिप्तियाँ; अभिकल्प का सिद्धांत; डिजाइन के तत्व और सिद्धांत; मानव माप, स्थान और भवन मानक; सार्वभौमिक डिजाइन, सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांत, भारत के सार्वभौमिक अभिकल्प सिद्धांत, सुगम्यता मानक; कोड और मानक, भवन अधिनियम (उ.प्र. राज्य); वास्तुकला अभिकल्प प्रक्रिया; अभिकल्प विचार; साइट विश्लेषण और संश्लेषण; क्षेत्र योजना और अवधारणा विकास।

2. भवन निर्माण और सामग्री

भवन निर्माण तकनीकें; विधियाँ और विवरण; माड्यूलर समन्वय के सिद्धांत; निर्माण योजना और उपकरण; भवन प्रणाली और भवन तत्वों का प्रीफैब्रिकेशन; अधुनातन भवन निर्माण तकनीक; भवन सामग्री की विशेषताएँ और अनुप्रयोग; टिकाऊ भवन सामग्री; वैकल्पिक भवन सामग्री।

3. भवन संरचना

सामग्रियों की मजबूती; संरचनात्मक तत्वों का व्यवहार; नींव; संरचनात्मक तत्वों का डिजाइन; संरचनात्मक यांत्रिकी; संरचनात्मक प्रणालियों के प्रकार; प्री–स्ट्रेसिंग और पोस्ट टेंशनिंग के सिद्धांत; बहुमन्जिला इमारतें और लंबी स्पैन संरचनाएँ; गुरुत्व और भार प्रतिरोधी प्रणालियाँ; भूकंप–प्रतिरोधी संरचनाएँ।

4. ऐतिहासिक और समकालीन वास्तुकला

भारतीय वास्तुकलाः प्राचीन, मध्यकालीन, उपनिवेशिक और समकालीन; विश्व की वास्तुकला का इतिहासः प्राचीन मिस्र, ग्रीको–रोमन क्लासिकल काल, बाइजेंटाइन, गोथिक, पुनर्जागरण, बारोक, आर्ट नोव्यू, आर्ट डेको, इकलैक्टिसिज्म, अंतरराष्ट्रीय शैलियाँ, पोस्ट–मोडर्निज्म, वास्तुकला में विखंडन; ओरिएंटल वास्तुकला; प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वास्तुविदों के कार्य।

5. शहरी डिजाइन

शहरी अभिकल्प के ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण; शहरी निर्मित वातावरण के तत्व; शहरी अभिकल्प की अवधारणाएं और सिद्धांत; शहरी डिजाइन के सिद्धांत, उपकरण और तकनीकें; सतत विकास और परिवहन के लिए शहरी डिजाइन हस्तक्षेप; विकास नियंत्रण – एफ. ए. आर., घनत्व, भवन नियमावली और विनियम।

6. भूदृश्य अभिकल्प और संरक्षण

भूदृश्य अभिकल्प और योजना; भूदृश्य अभिकल्प के सिद्धांत और सिद्धांत; भूदृश्य तत्व और सामग्री; बागों के प्रकार; नरम और कठोर भूदृश्यों का डिजाइन; पौधों की सामग्री, पेड़, झाड़ियाँ, हरा आवरण, 'इनडोर' पौधे; संगठित और असंगठित हरे क्षेत्र; स्ट्रीट फर्नीचर। विरासत की परिभाषा और प्रकार; विरासत संरक्षण के सिद्धांत और आवश्यकता; विरासत सामग्री और तकनीक, ऐतिहासिक शहरी भूदृश्य (एच. यू. एल.); शहरी नवीनीकरण और संरक्षण।

7. पेशेवर अभ्यास और परियोजना प्रबंधन

पेशेवर अभ्यास और नैतिकता; अनुमान और विनिर्देशन; टेंडरिंग, अनुबंध; मध्यस्थता; आपदा न्यूनीकरण के लिए डिजाइन और लेआउट; पुनर्वास के लिए अस्थायी संरचनाएँ; परियोजना प्रबंधन तकनीक जैसे PERT, CPM

8. आवासिकी

आवास के प्रकार; 'नेबरहूड' की अवधारणाएँ, सिद्धांत और उदाहरण; आवासीय घनत्व; रियल एस्टेट मूल्यांकन; आवास विकास मानदंड, नियम और कानून (उत्तर प्रदेश राज्य); HUDCO, NHB, NBFC, HFC जैसे आवास और विकास वित्त संस्थान; अनौपचारिक आवास; मलिन बस्ती उन्नयन, हटाना और पुनर्वास; आवास की मांग और आपूर्ति; आवास नीति और योजनाएँ; किफायती और कम लागत वाला आवास; आपदा प्रवण क्षेत्रों में आवास।

9. भवन सेवाएँ और आधारभूत संरचना

जल आपूर्ति और वितरण प्रणाली; जल उपचार; जल संचयन प्रणाली; वर्षा जल निकासी प्रणाली के सिद्धांत, योजना और डिजाइन; नालाबंदी प्रणाली; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके – संग्रह, परिवहन और निपटान; ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। विद्युत् के मूल सिद्धांत; विद्युत् की मांग की गणना मानक और मान; प्रकाश और रोशनी अभिकल्प। आग बुझाने की प्रणाली; आकाशीय बिजली से सुरक्षा साधन; भवन सुरक्षा और सुरक्षा प्रणाली; ऊर्ध्वाधर परिसंचरण प्रणाली, लिफ्ट, एस्केलेटर; भवन प्रबंधन प्रणाली, भवन स्वचालन और स्मार्ट भवन। HVAC और इमारतों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के प्रकार; वास्तु–ध्वनिकी – मूल सिद्धांत और अभिकल्प। सड़कें, चौराहे, ग्रेड विभाजक और पार्किंग की पदानुक्रम और अभिकल्प; पेराट्रांजिट और परिवहन के अन्य साधन; पैदल चलने और गैर–मोटर चालित गतिशीलता।

10. सतत वास्तुकला

सतत भवन रणनीतियाँ; अप्रतिरोधी अभिकल्प रणनीतियाँ; भवन प्रदर्शन अनुकरण और मूल्यांकन; ग्रीन भवन और मानदंड (GRIHA, LEED, IGBC, ECO-NIWAS SAMHITA); नेट जीरो भवन; गैर–नवीनतम ऊर्जा प्रणालियाँ।

11. योजना सिद्धांत

शहरी योजना के सिद्धांत और नियम; शहरों की अवधारणाएँ – इको–शहर, स्मार्ट शहर; ट्रेंडसेटिंग योजनाकारों और अभिकल्पकों द्वारा प्रतिपादित अवधारणाएँ और सिद्धांत; एकिस्टिक्स; शहरी समाजशास्त्र; सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणी पहलू; मास्टर योजनाएँ, शहर विकास योजनाएँ, क्षेत्रीय विकास योजनाएँ।

12. योजना उपकरण और तकनीकें

शहरी और क्षेत्रीय योजना में जी.आई.एस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग; सर्वेक्षण के उपकरण और तकनीकें – भौतिक, स्थलाकृतिक, भूमि उपयोग और सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण; शहरी अर्थशास्त्र, भूमि की मांग और आपूर्ति नियम एवं भू योजना में इसका उपयोग; ट्रांजिट उन्मुख विकास (टीओडी); स्थानीय स्व–शासन; योजना कानून और कार्यान्वयन – भूमि अधिग्रहण अधिनियम; सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP); भागीदारी योजना।

13. क्षेत्रीय और ग्रामीण योजना

आबादी की पदानुक्रम; क्षेत्रीय योजनाएँ; विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), विशेष विकास क्षेत्र (SRZ) आदि; ग्रामीण बस्तियाँ और अवसंरचना, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम; ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक पहलू; ग्रामीण शासन, पंचायती राज संस्थाएँ; स्थानिक वास्तुकला।

14. परिवहन योजना

परिवहन योजना और यातायात इंजीनियरिंग की प्रक्रियाएँ और सिद्धांत; सड़क क्षमता और यात्रा की मांग का पूर्वानुमान; यातायात सर्वेक्षण विधियाँ, यातायात प्रवाह विश्लेषण; यातायात विश्लेषण और अभिकल्प विचार; शहरी क्षेत्रों में यातायात और परिवहन प्रबंधन और नियंत्रण; जन परिवहन योजना; उन्नत परिवहन प्रणाली; परिवहन हब का डिजाइन और योजना; सड़कों, चौराहों, ग्रेड अलगावकों और पार्किंग का पदानुक्रम और अभिकल्प; पैरा–ट्रांजिट और परिवहन के अन्य माध्यम; पैदल और गैर–मोटर चालित गतिशीलता।

15. पर्यावरणीय योजना

प्राकृतिक और मानव–निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र; पारिस्थितिकी; सिद्धांत; योजना और अभिकल्प में पर्यावरणी विचार; पर्यावरणी प्रदूषण – प्रकार, कारण, नियंत्रण और उपशमन रणनीतियाँ; सतत विकास लक्ष्य (SDG's) और रणनीतियाँ; जलवायु परिवर्तन और निर्मित वातावरण; जलवायु उत्तरदायी अभिकल्पन।

परिशिष्ट–3

क्रीड़ाधिकारी परीक्षा

परीक्षा–योजना

प्रश्नपत्र–एक–	वस्तुनिष्ठ प्रकारक।
प्रश्नपत्र का नाम–	सामान्य ज्ञान तथा सामान्य हिन्दी।
प्रश्नपत्र हेतु कुल निर्धारित अंक–	150 (एक सौ पचास)
प्रश्नों की कुल संख्या–	75 (सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न तथा सामान्य हिन्दी के 25 प्रश्न)।
प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक–	02 (दो)।
समयावधि–	01:30 (एक घंटा तीस मिनट)।
प्रश्नपत्र–दो–	परम्परागत अर्थात लिखित ।
प्रश्नपत्र का नाम –	शारीरिक शिक्षा (खेल)।
प्रश्नपत्र हेतु कुल निर्धारित अंक–	200 (दो सौ)
समयावधि–	03 (तीन) घंटा।

ध्यातव्य है कि उक्त प्रश्नपत्र के अन्तर्गत कुल–15 (पन्द्रह) प्रश्न होंगे तथा वे सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे, इनका स्वरूप निम्नवत् होगाः–

खण्ड (अ)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न अति लघु उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 75 एवं प्रत्येक प्रश्न 05 (पांच) अंक का होगा]।

खण्ड (ब)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न लघु उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 150 एवं प्रत्येक प्रश्न 10 (दस) अंक का होगा]।

खण्ड (स)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 250 एवं प्रत्येक प्रश्न 25 (पचीस) अंक का होगा]।

नोटः– उक्त दोनों प्रश्नपत्रों में प्राप्तांकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची का निर्धारण होगा।

क्रीड़ाधिकारी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : सामान्य हिन्दी	अंक–विभाजन
1. हिन्दी वर्ण–विचारः स्वर और व्यंजन	**04**
2. हिन्दी शब्द–निर्माणः सन्धि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय	**08**
3. सर्वनाम, विशेषण, क्रिया	**06**
4. हिन्दी शब्द–समूहः तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी	**08**
5. शब्द–अर्थ सम्बन्धः पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द (शब्द–युग्म)	**10**
6. वर्तनी एवं वाक्यगत अशुद्धियाँ एवं संशोधन	**08**
7. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ	**06**

विषय–सामान्य ज्ञान

1. भारत का इतिहास और संस्कृति, भारत में पुनर्जागरण आन्दोलन की प्रकृति और स्वतंत्रता आन्दोलन के आयाम ।
2. विश्व एवं भारतीय भूगोल की सामान्य जानकारी, भौगोलिक अध्ययन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति और मानव कल्याण में उनका अनुप्रयोग।
3. भारतीय राजनीतिक प्रणाली एवं भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, भारत की प्रमुख आर्थिक नीतियाँ एवं सामाजिक कल्याण योजनाएँ।
5. सामान्य विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान) के मूलभूत सिद्धान्त, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति एवं दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग।
6. कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी की मूलभूत अवधारणाएँ और उनके अनुप्रयोग।
7. भारतीय कृषि की सामान्य जानकारी, फसल उत्पादन तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, कृषि उपज एवं विपणन, कृषि क्रांतियाँ।
8. खेलकूद सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम।

विषय–शारीरिक शिक्षा (खेल)

इकाई–1 : व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान

1. व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान का परिचय–ऊर्जा प्रणालियाँ, ए0टी0पी0 उत्पादन ।
2 व्यायाम के लिए हृदय परिसंचरण और मांसपेशीय अनुकूलन ।
3. विभिन्न शारीरिक प्रणालियों पर व्यायाम का प्रभाव–तीव्र बनाम दीर्घकालिक अनुकूलन ।
4. रिकवरी और थकान प्रबंधन–शारीरिक आधार और रणनीतियाँ।

इकाई–2 : खेल मनोविज्ञान

1. खेल मनोविज्ञान का परिचय, कोचिंग की परिभाषा, क्षेत्र और महत्व।
2. खेलों में प्रेरणा– एथलीट प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रकार, तकनीकें।
3. व्यक्तित्व और खेल प्रदर्शन–खेल सफलता में व्यक्तित्व लक्षण की भूमिका।
4. संवेगः भय, क्रोध, चिंता, आक्रामकता और तनाव प्रबंधन।

इकाई–3 : खेल प्रशिक्षण

1. खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत–विशिष्टता, अधिभार, प्रगति, प्रतिवर्तीता।
2. प्रशिक्षण घटक–गति, शक्ति, लचीलापन, सहनशक्ति, समन्वय क्षमताएं आदि।
3. योजना एवं अवधि निर्धारण–मैक्रो (स्थूल), मेसो और माइक्रो (सूक्ष्म) चक्र।
4 प्रतिभा पहचानः सिद्धांत एवं चरण।

इकाई–4 : खेल जैवयांत्रिकी

1. जैवयांत्रिकी की आधारभूत अवधारणाएँ– गति, बल, उत्तोलन, खेल में न्यूटन के नियम।
2. मानव गति में गतिकी और गतिविज्ञान ।
3. खेल कौशल का जैवयांत्रिकी विश्लेषण–तकनीक सुधार।
4. चोट की रोकथाम में जैवयांत्रिकी का अनुप्रयोग।

इकाई–5 : खेल पोषण और योग

1. खेल पोषण की मूलभूत अवधारणाएँ–मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाइड्रेशन।
2. एथलीटों के लिए आहार योजना–पूर्व–प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के वाद का पोषण !
3. संतुलित आहार।
4. खेलों में योगिक अभ्यासों का अनुप्रयोग।

इकाई–6 : खेल चिकित्सा

1. खेल चिकित्सा का परिचय– क्षेत्र एव महत्व।
2. सामान्य खेल चोटें–मोच, खिंचाव, फ्रैक्चर और अतिप्रयोग से होने वाली चोटें।
3. खेल में प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल ।
4. मालिश एवं पुनर्वास ।

इकाई–7 : खेलों में संगठन एवं प्रशासन

1. खेल संगठन के सिद्धांत–संरचनाएं, नीतियाँ और प्रक्रियाएँ।
2. खेल में इवेंट प्रबंधन–योजना, बजट, क्रियान्वयन।
3. सुविधाएँ एवं उपकरण प्रबंधन–खरीद रखरखाव, सुरक्षा।
4. खेल प्रशासन में नेतृत्व एवं संचार।

इकाई–8 : परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन

1 खेलों में परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन की भूमिका।
2. शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण।
3. विशिष्ट खेलों में कौशल एवं प्रदर्शन परीक्षण।
4. शरीर के प्रकार।

इकाई–9 : खेलों में डिजिटल लर्निंग और ए.आई. का अनुप्रयोग

1. कोचिंग में डिजिटल उपकरण–वीडियो विश्लेषण एवं ई–लर्निंग प्लेटफार्म ।
2. खेल प्रदर्शन संवर्द्धन मे ए.आई. अनुप्रयोग।
3. खेल प्रदर्शन के लिए डेटा प्रबंधन और सांख्यिकीय विश्लेषण ।
4. खेलों में कम्प्यूटर अनुप्रयोग।

इकाई–10 : खेल निकाय, प्रतियोगिताएँ, पुरस्कार और खेल के नियम एवं विनियमन

1. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय।
2. प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएँ ।
3. भारत में खेल पुरस्कार एवं मान्यताएँ।
4. खेल के नियम एवं विनियमन।

परिशिष्ट–4

प्रोग्रामर ग्रेड–2 पद हेतु परीक्षा योजना

1– परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा तथा जिसकी अवधि दो घण्टे होगी।

2– प्रश्न पत्र में कुल 85 प्रश्न होंगे तथा पूर्णांक 170 होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए दो–दो अंक निर्धारित रहेगा।

अंक विभाजन

Topics	No. of Questions	Marks
(a) Computer Application	50	100
(b) Logical Ability	15	30
(c) Mathematics (Fundamental concepts)	10	20
(d) English Comprehension (Unseen Passage)	10	20
Total	**85**	**170**

प्रोग्रामर ग्रेड–2 पद हेतु पाठ्यक्रम

विषयः कम्प्यूटर अनुप्रयोग

1. ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System)

ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल सिद्धांतः ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, कार्य एवं सेवाएँ, सिस्टम कॉल, इंटरफेस, इंटरप्ट्स।

प्रोसेसः प्रोसेस प्रबंधन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस अवस्थाएँ, थ्रेड्स, शेड्यूलिंग, स्पूलिंग, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और उनका मूल्यांकन, प्रोसेस सिंक्रनाइजेशन, इंटर–प्रोसेस कम्युनिकेशन, कंकर्न्ट एक्जीक्यूशन रेस कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग, सेमाफोर, हार्डवेयर सिंक्रनाइजेशन, क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, (रीडर्स–राइटर्स, डाइनिंग फिलॉसफर्स) ।

डेडलॉकः डेडलॉक का परिचय, विशेषताएँ, रोकथाम, पहचान, बचाव, वेट–फॉर–ग्राफ, बैंकर्स एल्गोरिदम, सुरक्षित स्थिति, डेडलॉक रिकवरी।

मेमोरी प्रबंधनः मेमोरी प्रबंधन का मूलभूत सिद्धांत, स्थैतिक और गतिशील आवंटन, स्वैपिंग, कम्पैक्शन, कंटिग्यूस और नॉन–कंटिग्यूस आवंटन, पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज प्रतिस्थापन एल्गोरिदम, फ्रेम आवंटन विधियाँ, थैशिंग।

फाइल प्रबंधनः फाइल सिस्टम की संरचना और कार्य, I/0 ऑपरेशन्स, डिवाइस ड्राइवर्स, एक्सेस विधियाँ, फाइल सिस्टम संगठन, डिजाइन तकनीकें, फाइल आवंटन विधियाँ, फाइल सुरक्षा और संरक्षण।

Unix और Windows: ओवरव्यू ऑफ यूनिक्स शेल एनवायरनमेंट, सामान्य कमांड, सिस्टम यूटिलिटीज, Windows एनवायरनमेंट, उप–प्रणाली, कंट्रोल पैनल और सिस्टम कॉन्फिगरेशन, सुरक्षा और संरक्षण।

2. प्रोग्रामिंग भाषा (Programming Language)

समस्या समाधान तकनीकें: एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट, प्रोग्रामिंग पैरेडाइम्स (टॉप–डाउन, बॉटम–अप), ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अवधारणाएँ।

C प्रोग्रामिंगः C भाषा का महत्व और विकास, प्रोग्राम की संरचना, कैरेक्टर सेट, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्थिरांक, चर, डेटा प्रकार, ऑपरेटर्स, निर्णय लेने वाले कथन, लूप्स, ऐरेज, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स।

ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगः क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एन्कैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पुनः उपयोगिता और मॉड्यूलरिटी, पोलिमॉर्फिज्म, फ्रेंड फंक्शंस, वर्चुअल फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स और डीस्ट्रक्टर्स।

जावाः जावास्रोत फाइल संरचना, JVM आर्किटेक्चर, प्राथमिक डेटा प्रकार, ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग, ऐरेज, कंडीशनल कथन, लूप संरचनाएँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, पैकेजेस और एक्सेस मॉडिफायर्स।

3. स्क्रिप्टिंग भाषाएँ (Scripting Languages)

स्क्रिटिंग भाषाओं की परिभाषा, विशेषताएँ, वेब आधारित अनुप्रयोगों में उपयोग, क्लाइंट–साइड vs. सर्वर–साइड स्क्रिप्टिंग।

जावा स्क्रिप्टः जावा स्क्रिप्ट का परिचय, सिंटैक्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन्स, नियंत्रण संरचनाएँ (ब्रांचिंग और लूपिंग), फंक्शंस, इवेंट्स, डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल (DOM), मैनिपुलेशन्स ।

पर्लः सिंटैक्स, डेटा प्रकार, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल और लूपिंग कथन, ऐरेज, स्ट्रिंग्स, हैशेस, अंतर्निहित फंक्शंस और सबरूटीनस।

4. डेटाबेस (Database)

DBMS की विशेषताएँ, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की विशेषताएँ, डेटाबेस मॉडल्स, ER आरेख, DDL, DML, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इंडिपेंडेंस, DBMS आर्किटेक्चर, स्कीमा, व्यूज, कार्यात्मक निर्भरताएँ, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, नॉर्मल फॉर्म्स (1NF, 2NF, 3NF और BCNF), ट्रांजैक्शन्स और कनकरेंसी की अवधारणाएँ।

5. डेटाबेस पैकेजेस (Database Packages)

स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज (SQL): SELECT क्वेरीज, JOINS, सबक्वेरीज, एग्रीगेट फंक्शंस, सेट ऑपरेशन्स, डेटा

मैनिपुलेशन (INSERT, UPDATE, DELETE, WHERE, ORDER BY, GROUP BY), इंडेक्सेस और ट्रिगर्स।

MS-ACCESS: MS-Access GUI और संरचना का परिचय, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, मैक्रोज, अंतर्निहित फंक्शंस, डेटा आयात/निर्यात क्वेरीज, तालिका संबंध।

Oracle: परिचय और स्थापना, बैकअप और रिकवरी प्रबंधक, SQL सर्वर की मूल अवधारणाएँ, SQL सर्वर के कार्य, सर्वर कॉन्फिगरेशन, उपयोगकर्ता प्रबंधन, MySQL की मूल अवधारणाएँ।

6. वेब सर्वर

पीएचपी (PHP): पीएचपी का परिचय, चर (Variables), आंकड़ा प्रकार (Data Types), कंडीशनल तथा लूपिंग कथन, इंडेक्स्ड एवं एसोसिएटिव ऐरे, बिल्ट–इन फंक्शन्स, HTML में PHP का समावेश, प्रपत्र (Form) प्रबंधन ।

वेब सर्वर: वेब सर्वर का अवलोकन एवं संकल्पना, वेब सर्वरों के प्रकार, HTTP एवं HTTPS प्रोटोकॉल, क्लाइंट–पक्ष एवं सर्वर–पक्ष स्क्रिप्टिंग, .NET प्लेटफॉर्म तथा फ्रेमवर्क का परिचय, MVC आर्किटेक्चर एवं उसका कार्यान्वयन, API विकास, रिमोट एक्सेस एवं सर्वर प्रबंधन, ASP.NET का डिप्लॉयमेंट और पब्लिशिंग, IIS एवं अपाचे सर्वर का बोध, वेब होस्टिंग एवं डोमेन प्रबंधन की मूल अवधारणाएँ ।

7. नेटवर्क

इंटरनेट की मूल अवधारणाएँ, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, यूआरएल संरचना, प्रोटोकॉल एवं सेवाएँ, FTP, TCP/IP, DNS, POP, SMTP, ICMP, RARP, UDP, ARP, IP अड्रेसिंग प्रणाली, उप–जाल (Subnetting) की संकल्पना, दूरस्थ लॉगिन, वेब अपलोडिंग/डाउनलोडिंग, वेब प्रकाशन, होस्टिंग सेवाएँ, SSL, इंटरनेट सुरक्षा उपाय, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग की मूल अवधारणाएँ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, TCP एवं UDP सॉकेट संप्रेषण।

8. वेब सामग्री विकास

हाइपरटेक्स्ट एवं हाइपरमीडिया की संकल्पनाएँ, HTML प्रलेखों की संरचना, शीर्ष एवं मुख्य भाग, विभिन्न टैग्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेजेज का समावेश, लिंक्स बनाना, तालिकाओं एवं सूचियों का प्रयोग, फ्रेम्स एवं प्रपत्र प्रबंधन।

9. प्रलेख (Document) तैयारी

एम.एस.–वर्ड: MS-Word का परिचय एवं विशेषताएँ, प्रलेख बनाना, सेविंग और ओपनिंग डॉक्युमेंट्स, इंटरफेस, टूलबार्स, रूलर, मेनू, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, अनुच्छेद फॉर्मेटिंग, पंक्तिबद्धता, सीमाएँ एवं छायांकन, हेडर्स और फुटर्स, स्तंभ, तालिकाएँ।

एम.एस.–एक्सेल: वर्कशीट्स बनाना, सेल्स, स्तंभ एवं पंक्तियों की परिभाषा, डाटा की प्रविष्टि, संपादन एवं संरक्षण, टूलबार्स, फंक्शन्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, सेल्स फॉर्मेटिंग, पंक्तिबद्धता, कैरेक्टर स्टाइल्स, स्तंभ/पंक्ति का आकार समायोजन, दिनांक/समय फॉर्मेटिंग, बोर्डर्स, रंग, बेसिक फॉर्मूलास, कक्ष संदर्भ (सापेक्ष, निरपेक्ष, मिश्रित)।

एम.एस.–पावरपॉइंट: MS-PowerPoint का अवलोकन एवं प्रस्तुति में उपयोग, स्लाइड्स बनाना, प्रतिलिपि करना, स्थानांतरित करना, हटाना, विषयवस्तु, स्लाइड क्रम, डिजाइन उपकरण, पाठ संपादन एवं स्वरूपण, शैली प्रयोग, बुलेट्स/क्रमांकन, छवियाँ, चार्ट्स, स्मार्ट–आर्ट, मल्टीमीडिया समावेश, दृश्य प्रभाव, एनिमेशन, नोट्स, हैंडआउट्स, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रिहर्स टाइमिंग।

परिशिष्ट–5

पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ

1. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, सहायक नगर नियोजक नियमावली, 1979 (यथा संशोधित)
2. उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 (यथा संशोधित)
3. उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ख' संवर्ग सेवा नियमावली, 2016

सचिव